The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research
An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 4 | Issue 3 | March 2026
ISSN: 2583-973X (Online), SJIF IF: 5.6
Website: www.theacademic.in

अकबरकालीन भारत में नारी: स्थिति, अधिकार और योगदान

डॉ0 समन ज़हरा ज़ैदी
असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, गाँधी फैज ए आम कॉलेज, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.19543254

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 08-03-2026

Published: 10-04-2026

Keywords:

अकबरकालीन भारत, महिलाओं की स्थिति, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, राजनीतिक भागेदारी, गुलबदन बेगम, सलीमा बेगम, महिला शिक्षा।

ABSTRACT

यह अध्ययन अकबर के शासनकाल में भारतीय महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मुगल काल का यह चरण भारतीय इतिहास में अपेक्षाकृत उदार और सुधारवादी नीतियों के लिए जाना जाता है, जिसका प्रभाव महिलाओं की स्थिति पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अकबर ने सामाजिक कुरीतियों को कम करने और महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। बाल विवाह पर नियंत्रण, सती प्रथा को हतोत्साहित करना तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना उनके प्रमुख सुधारों में शामिल थे। इन प्रयासों से महिलाओं को सामाजिक स्तर पर कुछ हद तक सम्मान और सुरक्षा प्राप्त हुई। राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिलती है। विशेष रूप से शाही परिवार की महिलाएं, जैसे हमीदा बानो बेगम और गुलबदन बेगम प्रशासनिक कार्यों और सांस्कृतिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। गुलबदन बेगम द्वारा रचित हुमायूँनामा उस समय के इतिहास और महिलाओं की भागीदारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी महिलाओं ने उल्लेखनीय योगदान दिया। वे शिक्षा, साहित्य, कला और धर्म के क्षेत्र में सक्रिय रहीं। हालांकि, ग्रामीण और निम्न वर्ग की महिलाओं की स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण थी और वे पारंपरिक बंधनों में बंधी हुई थीं। अंततः यह कहा जा सकता है कि अकबर के शासनकाल में महिलाओं की स्थिति में आंशिक सुधार हुआ और उन्हें सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में सीमित लेकिन महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुए। यह काल भारतीय समाज में नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जा सकता है।

अकबर के शासनकाल को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनशील युग माना जाता है। इस काल में न केवल राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुई, बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति, उनके अधिकारों तथा समाज में उनके योगदान का स्वरूप इस काल में उल्लेखनीय रहा।

अकबर ने अपने शासनकाल में विभिन्न सामाजिक सुधारों को लागू किया, जिनका प्रभाव महिलाओं की स्थिति पर भी पड़ा। बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को नियंत्रित करने के प्रयास तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने जैसे कदम महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। साथ ही, राजपरिवार तथा उच्च वर्ग की महिलाओं को शिक्षा, कला और प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी के अवसर भी प्राप्त हुए।

इस काल में कुछ ऐसी महिलाओं के नाम भी मिलते हैं जैसे गोंडवाना की रानी दुर्गावती और अहमदनगर की चांदबीबी जैसी वीर महिलाएं जिनके सशक्तीकरण में अकबर का कोई योगदान नहीं था बल्कि ये अकबर की सेनाओं से लडते हुए वीरगति को प्राप्त हुई लेकिन इस दौर के इतिहास पर महिला सशक्तीकरण की एक अमिट छाप छोड़ गई।

मुगलकाल में स्त्रियों ने प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का परिचय दिया। अकबर के समय के राजनीतिक पटल पर तीन स्त्रियों का नाम विशेष रूप से चमकता है। ये स्त्रियां हैं-माहम अनगा, दुर्गावती, और चाँदबीबी। यद्यपि इनके अलावा भी कई स्त्रियों ने पर्दे के पीछे रहकर राजकाज के कार्यों में हाथ बंटाया।

माहम अनगा, जो कि अकबर की धाय माँ थी, ने 1560 से 1562 तक राजकाज के कार्यों पर अपना प्रभाव रखा। इस प्रभाव के कारण ही इस समय को कतिपय इतिहासकारों ने 'स्त्री शासन' या 'पेटीकोट सरकार' का नाम दिया है। इस अवधि में अकबर ने शासन में कोई विशेष रूचि नहीं दिखाई।[1] अपितु वह खेलों और शिकार में अधिक व्यस्त रहा।

यद्यपि माहम अनगा दूरदर्शी प्रशासिका और कूटनीतिज्ञ नहीं थी, जैसा अबुल फ़ज़ल का मत है। पर वह एक बुद्धिमान और गुणवान महिला थी, जिसने हरम में अपना खूब प्रभाव जमा रखा था। अकबर उसके प्रति बड़ी श्रद्धा, सम्मान और स्नेह रखता था, परन्तु माहम अनगा ने अपने इस पद, प्रभाव और शाक्ति का दुरूपयोग किया। वह महत्वाकांक्षी और सत्तालोलुप थी तथा स्वयं प्रधानमंत्री का कार्य करने की तीव्र लालसा और महत्वाकांक्षा रखती थी। षड्यन्त्र करने की कला में वह निपुण थी। बैरम खाँ और अतका खाँ के विरूद्ध उसने सरलतापूर्वक षड्यन्त्र किये। उसने मंत्रियों और अधिकारियों के चुनाव और नियुक्ति में, सैनिक अभियानों और आक्रमणों के सेनानायकों की नियुक्तियों में हस्तक्षेप किया, और ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियां करवायीं, जो अयोग्य थे। बहादुर खाँ उजबेग, पीर मुहम्मद खाँ, आदम खाँ आदि ऐसे ही अयोग्य और अक्षम व्यक्ति थे। असैनिक प्रशासन में भी उसका कुप्रभाव रहा। जब तक वह सत्तारूढ़ रही, तब तक भूमिकर की व्यवस्था भी गलत और भ्रष्ट रही, परन्तु उसमें किसी संकट से सुरक्षित हो जाने के प्रयत्न करने की तथा मनुष्यों को एक साथ एकत्र कर लेने की योग्यता और दक्षता थी। अकबर के प्रति उसकी भक्ति निर्विवाद और स्नेह अपार था।[2]

माहम अनगा के अतिरिक्त अकबर की मां मरियम मकानी, पत्नी सलीमा बेगम, बुआ गुलबदन बेगम, माहचूचक बेगम तथा बख्तुन्निसा बेगम ने भी राजनैतिक मामलों में अच्छी भूमिका निभाई। 1601-02 ई० में जब अकबर और सलीम का पारस्परिक मनमुटाव चल रहा था और सलीम इलाहाबाद चला गया था, तब सलीमा बेगम, गुलबदन बेगम और मरियम मकानी ने ही अकबर और सलीम का समझौता कराया था। 1602 ई० में सलीमा बेगम इलाहाबाद गयीं और सलीम को समझाया-बुझाया।[3] परिणामस्वरूप 1603 ई0 में सलीम दरबार में अकबर के सामने प्रस्तुत हुआ और उसके चरणों में अपना सर रख दिया। अकबर ने भी सलीम का आलिंगन किया, आंसू बहाये और अपने सिर की पगड़ी उतार कर उसके सिर पर रख दी और उसे क्षमा

कर दिया।[4] जहांगीर के काल के प्रथम वर्ष अर्थात 1606 ई० में भी सलीमा ने हरम की अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर समसामयिक राजनीति में उस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। जब जहांगीर के पुत्र खुसरो ने उसके विरूद्ध विद्रोह कर दिया, तब सलीमा बेगम ने ही उसे समझाया था, जिसके परिणामस्वरूप खुसरो ने जहांगीर से माफी मांगी।[5]

इनके अलावा अकबर की सौतेली माँ माहचूचक बेगम, काबुल के राजनैतिक मसलों में सक्रिय भाग लेती थीं। अकबर की सौतेली बहन बख्तुन्निसा बेगम की नियुक्ति काबुल शासन के लिए की गयी थी। उसने अकबर की अब्दुल्ला खान उजबेग की समस्या सुलझाने में मदद की।[6]

मुगल हरम से दूर गोंडवाना में राजपूत रानी दुर्गावती यहाँ की स्वतन्त्र और शक्तिशाली शासिका थी। वह महोबा के चन्देल राजा शालिवाहन की पुत्री और गढामंडला के राजा दलपत की पत्नी थीं। सन् 1548 में दलपत के देहावसान के बाद रानी दुर्गावती अपने पाँच वर्षीय पुत्र वीरनारायण की संरक्षिका बन गयी और अपने मंत्रियों के और परामर्श व सहायता से सफलतापूर्वक शासन करती रही।[7]

उसके पास एक बड़ी स्थायी और सुसज्जित सेना थी, जिसमें 20,000 अश्वारोही, एक हजार हाथी और प्रचुर संख्या में पैदल सैनिक थे। उसने अपनी इस सेना और वीरता से मालवा के बाजबहादुर और सिरोज के अफगान मियानी शासकों से युद्ध करके उन्हें परास्त भी किया। शासन में भी वह प्रजावत्सल थी। उसने सार्वजनिक कल्याण के लिए निर्माण कार्य भी किये। अपनी उदारता, दक्षता, दूरदर्शिता, सुयोग्य शासन और दृढ प्रयत्नों से उसने गोंडवाना में राजनीतिक एकता स्थापित कर ली थी। उसका निशाना अचूक था तथा वह शेरों का शिकार करती थी।[8]

डॉ० स्मिथ लिखते हैं - इस समय उसका राज्य अकबर के राज्य से अधिक सम्पन्न और सुशासित था।[9] उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जब अकबर के द्वारा गढ़ पर आक्रमण का आदेश दिया गया, तो वह साहसपूर्वक लड़ी और हाथी पर सवार होकर युद्ध का वीरता और सफलता से संचालन किया। इसी बीच दुर्भाग्य से उसे एक के बाद एक दो तीर आकर लगे। इससे वह बेहोश हो गयी। होश आने पर जब उसे अपनी पराजय का पता लगा, तब उसने शत्रु द्वारा पकड़े जाने और अपमानित होने के भय से कटार भोंककर आत्महत्या कर ली और वीरगति को प्राप्त हुई।[10]

इसके अलावा अहमदनगर की शासिका चाँद बीबी का नाम भी इतिहास में खूब चमकता है। वह अहमदनगर के सुल्तान बुरहानुल्मुल्क की बहन और बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह की विधवा थी। 18 अप्रैल, 1595 को बुरहानुल्मुल्क की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहीम शासक बना, परन्तु 16 अगस्त 1595 को इब्राहीम भी युद्ध करते हुए मारा गया। इस समय चाँद बीबी अहमदनगर में ही रह रही थी। अतः उसने इब्राहीम के शिशु पुत्र बहादुर को अहमदनगर का शासक घोषित किया और स्वयं उसकी संरक्षिका बन गयी। इस समय अहमदनगर में गृहकलह भी चल रही थी और कुछ अमीर निरन्तर उसके विरूद्ध षड्यन्त्र करते रहते थे।[11]

18 दिसम्बर, 1595 को मुगल सेना ने अहमदनगर पर आक्रमण कर किले पर घेरा डाल दिया, पर चाँदबीबी ने वीरता से मुगल सेनाओं का सामना किया। वह सैनिक सज्जा में, हाथ में नंगी तलवार लिए राजकीय छत्र धारण किये हुए दुर्ग की सुरक्षा के प्रयत्नों का निरीक्षण करती और शौर्य से युद्ध का संचालन करती थी। यह घेरा बहुत दिन तक चलता रहा। अन्त में विवश होकर

मुगलों ने 20 मार्च, 1596 को अहमदनगर का घेरा उठा लिया तथा दोनों पक्षों में सन्धि हो गयी और अकबर की अधीनता मान ली गयी।[12] परन्तु यह सन्धि ज्यादा समय तक नहीं चल पायी और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर सन्धि की शर्तों की अवहेलना का आरोप लगाया और मुगल सेनाओं ने 9 मई, 1599 को अहमदनगर का पुनः घेरा डाल दिया। चाँद बीबी ने इसका वीरता से सामना किया, पर उसके आन्तरिक शत्रु अभी भी उसका विरोध कर रहे थे। अपनी स्थिति को नाजुक जानकर उसने मुगलों से पुनः सन्धि-वार्ता प्रारम्भ की, परन्तु उसकी सेना के एक अंग ने इस शान्ति वार्ता का विरोध किया और एक शक्तिशाली गुट के उकसाने पर जीता खाँ (चीता खाँ) नामक एक हिजड़े ने 3 जुलाई, 1600 ई0 को चाँद बीबी की हत्या कर दी।[13] और अहमदनगर के राजनीतिक पटल पर चमकते हुए इस सितारे का अन्त हो गया।

इसके अतिरिक्त मखदूम जहां ने बहमनी शासक परिवार की ओर से दक्खिन पर कुशलतापूर्वक शासन किया।[14] अली मर्दान की पुत्री साहिबजी भी एक बुद्धिमान महिला थी। अपने पति के शासन काल में वह काबुल की वास्तविक गवर्नर रही तथा पति के मरने के बाद बिना किसी विरोध के अफगानों पर शासन करती रही।[15]

राजपूतों में भी रानियों का राजकाज में योगदान देखने को मिलता है। प्रायः ज्येष्ठ पुत्र की अल्पावस्था में रानियां ही राजकार्य संभालती रहती थीं। इसके अलावा राजपूत स्त्रियां बुरा समय आने पर युद्ध के लिए भी तैयार रहती थीं। चित्तौड़ के युद्ध के समय फत्ता की पत्नी और माता ने युद्ध का नेतृत्व किया।

मुगलकाल में शाही परिवार की स्त्रियों की शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही में शिक्षा उच्च वर्ग की महिलाओं तक सीमित थी। सामान्यतः लड़के और लड़कियाँ प्रारम्भिक कक्षाओं में साथ-साथ पढ़ते थे।[16] परन्तु शाही घरानों के लोग अपनी लडकी को पढाने के लिए घर पर ही अध्यापक को नियुक्त करते थे। मुगल शहजादियों के शिक्षण के लिए विशेष प्रबन्ध किये जाते थे। शिक्षक उन्हें पढ़ना, लिखना, शायरी करना तथा कुरान पढ़ाते थे। सभी शहजादियां रोज कुरान पढ़ती थीं। कुछ मुगल शहजादियां शायरी और संगीत में कुशल थीं तथा कभी-कभी अपने परिजनों से पत्र-व्यवहार भी करती थीं।[17] मुगल शासक अपनी पुत्रियों को पढ़ाने के लिए पढ़ी-लिखी विशेषतः फारसी स्त्रियों को नियुक्त करते थे। मुगलकालीन महिलाओं में एक नाम गुलबदन बेगम विशेष उल्लेखनीय है, जोकि अकबर की बुआ थी। यह तुर्की और फारसी की अच्छी ज्ञाता थी।[18] तथा इसने स्वयं को साहित्यिक खोज में लगा लिया था। गुलबदन बेगम ने 'हुमायूँनामा लिखा, जिससे हुमायूँ के काल की न केवल राजनीतिक गतिविधियों बल्कि मुगल हरम के विषय में भी विस्तृत जानकारी मिलती है। यह शायरी भी करती थी तथा इसके पास स्वयं का एक पुस्तकालय भी था।[19]

साहित्यिक खोज में एक नाम 'सलीमा सुल्तान बेगम' भी विशेष उल्लेखनीय है। वह अकबर की पत्नी थी तथा अकबर उससे बहुत प्रभावित था। वह फारसी भाषा में निपुण थी और कविताएं लिखती थी। उसने भी अपना एक पुस्तकालय बनाया था।[20] बैरम खाँ की पुत्री जान बेगम भी एक पढ़ी-लिखी महिला थी। इसका विवाह अकबर के पुत्र दानियाल से हुआ था। दानियाल की मृत्यु के बाद यह जीवन भर विधवा रही।[21] जान बेगम ने कुरान की व्याख्या लिखी, जिससे प्रसन्न होकर अकबर ने उसे 50,000 दीनार पुरस्कार में दिये।[22] हुमायूँ की दूसरी बहन गुलरूख बेगम को भी शायरी का शौक था। उसने बहुत सी कविताएं लिखी थीं।[23]

उस समय में मध्यवर्ग की स्त्रियों को स्थानीय भाषा का पर्याप्त ज्ञान था। हिन्दू स्त्रियों को हिन्दी या संस्कृत, तथा मुसलमान स्त्रियों को फारसी और अरबी का ज्ञान था, ताकि वे धार्मिक को हिन्दी या संस्कृत, तथा मुसलमान स्त्रियों को लेखों को पढ़ सकें, परन्तु अच्छी शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित थी। मुगलकाल में पढ़ी-लिखी बुद्धिमान महिलाओं को विशेष सम्मान मिलता था। इनमें से कुछ तो अपनी योग्यता के अनुसार बादशाह की परामर्शदाता तक बन जाती थीं।[24] परन्तु सामान्य वर्ग में पर्दा-प्रथा और कम आयु में विवाह के कारण स्त्रियों में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बहुत कम थे तथा निम्न वर्ग में तो ये न के बराबर थे।[25]

सम्पत्ति रखने के सम्बन्ध में मुसलमान स्त्रियां बहुत सश्क्त थीं। मुस्लिम स्त्रियां विरासत में एक - विशेष भाग पाती थीं तथा उसे बेचने का अधिकार भी रखती थीं। विवाह होने पर उन्हें अपने पति की - ओर से सुरक्षा-स्वरूप 'मेहर' मिलता था । हिन्दू स्त्रियों को चल सम्पत्ति, जैसे- आभूषण तथा मूल्यवान वेषभूषा आदि से खर्च मिलने का अधिकार था, जिसे 'स्त्रीधन' कहते थे।[26]

मुगलकालीन भारतीय स्त्रियां सामान्यतः घरेलू कामकाज तक सीमित थीं, परन्तु खेती व मजदूर वर्ग से सम्बन्धित स्त्रियाँ अपने पुरूषों को उनके घरेलू उद्योग, जैसे खेती-बाड़ी, मवेशी पालन, बुनाई कताई तथा सिलाई आदि में मदद करती थीं। इनमें से कुछ स्वतन्त्र रोजगार, जैसे- दवाई एवं दाया का काम करती थीं। बदायूँनी लिखते हैं कि- कुछ ने तो अपनी दुकानें खोल रखी थीं।[27] कुछ स्त्रियों ने नाचने-गाने का पेशा अपनाया हुआ था। सामान्यतः मुस्लिम स्त्रियां इस कार्य में निपुण होती थीं, और इस रोजगार को अपनाती थीं, जबकि हिन्दू स्त्रियों को संगीतकार के रूप में रोजगार दिया जाता था।[28]

अकबर से पूर्व सल्तनत काल तक लड़कियों का विवाह 10 -12 वर्ष की आयु में और कभी-कभी इससे भी कम अवस्था में कर दिया जाता था, क्योंकि साधारण जनता को सदैव यह भय रहता था कि कोई शक्तिशाली बादशाह या शासक वर्ग से सम्बन्धित व्यक्ति उनकी लडकी का अपहरण न कर ले, परन्तु अकबर ने इस प्रथा पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। उसने लडकियों की विवाह की आयु निश्चित कर दी, परन्तु फिर भी वह पूर्णतया बाल विवाह पर अंकुश नहीं लगा पाया।

समाज में प्रायः एक ही स्त्री के साथ विवाह करने की प्रथा थी परन्तु उच्च वर्ग (हिन्दू और मुसलमान दोनों ही) में बहु-विवाह, का प्रचलन था। मुसलमानों में तलाक और दोबारा शादी सामान्य बात थी। अबुल फजल के अनुसार-अत्यधिक मेहर आसानी से तलाक देने को रोकता था, परन्तु अकबर ऊँचे मेहर को पसन्द नहीं करता था।[29] तलाकशुदा मुसलमान स्त्री दोबारा विवाह कर सकती थीं, परन्तु हिन्दुओं में ऐसा नहीं था। हिन्दुओं के लिए विवाह जन्मजन्मान्तर का बंधन होता था, तथा स्त्री अपने पति को कभी भी नहीं छोड़ सकती थी। उसके लिए पति भगवान के समान होता था। पति दूसरा विवाह कर सकता था। उच्च वर्ग में पति के लिए बहु-विवाह सामान्य बात थी, परन्तु सामान्य वर्ग में पुरूष भी दूसरा विवाह करता था, यदि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गयी हो, अथवा पत्नी बांझ हो। राजपूत समाज में विवाह के पश्चात् स्त्री की जाति में कोई परिवर्तन नहीं आता था। उसकी जाति मायके के अनुरूप ही रहती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज में विवाह सम्बन्ध का बड़ी कठोरता से पालन किया जाता था।[30]

हिन्दुओं में विधवाओं की स्थिति बहुत अधिक खराब थी। सती प्रथा का प्रचलन था। पति की मृत्यु होने पर जीवित पत्नी भी उसकी चिता के साथ जलकर राख हो जाती थी। राजस्थान में सती प्रथा का प्रचलन राजपूत जाति में सर्वाधिक था।

प्रायः पुरुष के मरने पर उसके साथ सतीहोने वाली स्त्रियों की संख्या के आधार पर उनकी शासकों के साथ कई रानियां, उप-रानियाँ, पासवानें प्रतिष्ठा का अनुमान लगाया जाता था। राजस्थानी तथा दासियाँ आदि के सती होने के साक्ष्य मिलते हैं। सती होने वाली पत्नी अपने मृत पति का सिर अपनी गोद में लेकर चिता में बैठती थी। कभी-कभी स्वयं साथ में न जलकर अपने शरीर का एक अंग काटकर साथ में जला देती थी और स्वयं कुछ समय बाद जलती थी, किन्तु गर्भवती स्त्री सती नहीं होती थी। गर्भ प्रकट के कुछ दिन बाद ही वह सती हो सकती थी।[31] कई बार स्त्रियाँ अनिच्छा से सती होती थीं या डरकर चिता से भाग जाती थीं। ऐसी स्थिति में उन्हें अछूत समझा जाता था तथा अपने परिवार और जाति के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता था।

डॉ० आर०बी० लाल लिखते हैं कि– 'अकबर और जहाँगीर ने इस अत्याचारपूर्ण प्रथा को समाप्त करने में रुचि दिखाई, परन्तु सरकार द्वारा इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कोई रोकथाम नहीं की गयी।[32] सम्भवतः इस प्रथा को समाप्त करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यह समाज की रग-रग में फैली हुई थी। उच्च शिक्षित वर्ग भी इससे अछूता नहीं था, परन्तु फिर भी अकबर ने यह आदेश दिया कि किसी स्त्री को सती होने के लिए बल प्रयोग न किया जाये।[33] परन्तु उसने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया, जिससे इस प्रथा पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लग जाता। सम्भवतः उसने ऐसा इसलिए नहीं किया, क्योंकि यह प्रथा हिन्दू जनसाध धारण की धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई थी, परन्तु अकबर ने व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रसिद्ध मामलों में विधवाओं को सती होने से बचाया।

सती प्रथा के अलावा हिन्दुओं में, विशेषकर राजपूतों में जौहर प्रथा विद्यमान थी। इसके अन्तर्गत युद्ध में पराजित होने पर पुरूष तो लड़ते हुए मारे जाते थे, तथा स्त्रियाँ बन्धक बनाये जाने के डर से आग में जलकर अपना जीवन समाप्त कर देती थीं। अकबर के समय में इसका ज्वलंत उदाहरण चित्तौड के युद्ध के समय मिलता है. जब जयमल सजायी गयीं और राजपूतों की परम्परा के अनुसार की मत्य होने पर किले में तीन स्थानों पर चितायें 300 राजपूत महिलायें जौहर की ज्वाला में समा गयीं।[34]

जब कभी भी हिन्दू स्त्री की मर्यादा और चरित्र को कोई खतरा होता था, तो वह जौहर हो जाना स्वीकार करती थी, और स्वयं को अग्नि के हवाले कर देती थीं। न केवल मुगल काल में, अपितु प्राचीन काल से ही हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिए स्त्री प्रतिष्ठा का विषय समझी जाती रही है। उच्च और सामान्य वर्ग के लिए स्त्री घर की मर्यादा होती थी तथा स्त्री की मर्यादा नष्ट हो जाने पर वह अपनी जान तक दे देते थे। इसके अलावा पुत्री का विवाह करने पर उन्हें वर पक्ष के सामने झुकना पड़ता था। यही कारण थे कि कन्या के जन्म को बुरा समझा जाता था।

अकबर के पुत्र जहांगीर और पौत्र शाहजहाँ पर ये आरोप लगाये जाते रहे हैं कि उन्होंने अपनी पुत्रियों के विवाह नहीं किये, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें शहजादियों के ससुराल वालों के सामने झुकना पड़ता, जो कि उन्हें मंजूर नहीं था। इसके अलावा वे नहीं चाहते थे कि उनका दामाद भी उनके तख्त को हासिल करने के सपने देखने लगे।[35] परन्तु अकबर का दृष्टिकोण इससे अलग था, उसने स्त्री जाति के साथ ऐसा कोई क्रूर व्यवहार नहीं किया। उसने बाल विवाह पर प्रतिबन्ध लगाया, विधवा विवाह करवाये, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया और अपनी शहजादियों के न केवल विवाह किये, अपितु विधवा हो जाने पर पुनः विवाह भी कराये और कभी-कभी तो विधवा होने पर तीन-तीन विवाह तक कराये।

अकबर ने अपनी सौतेली बहन सकीना बानों की शादी, नकीब खाँ के पुत्र से की थी। अपनी बहन बख्शी बानों का विवाह बदक्शां के इब्राहीम से किया और इब्राहीम की मृत्यु के बाद उसका निकाह शरीफुद्दीन से पढ़वा दिया था। उसने अपनी पुत्री आरामबानों का विवाह अब्दुर्रहीम खानखाना से किया था, जबकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार वह जीवन भर अविवाहित रही। अकबर की एक अन्य शहजादी शुन्निसा बेगम का विवाह मिर्जा शाहरूख के साथ हुआ था। अकबर की बडी पत्री खानम सुल्तान खानदेश के शाहजादे से स्याही गयी थी।[36]

इस तरह शहजादियों के विवाह पर अकबर बने कोई पाबन्दी नहीं लगायी थी। हाँ, उसकी तरफ से यह पाबंदी जरूर थी कि शादियां चचाजात या मामूज़ात भाईयों-बहनों में न हो। यद्यपि इस्लाम इसकी इजाजत देता है। शायद अकबर का यह नर, मानना था कि समरक्त विवाहों में बच्चे स्वस्थ नहीं देहोते। मुगल सम्राट अपनी माताओं को भी बहुत एक इज्जत देते थे। वह अपनी गद्दी छोड़कर आगे बढ़ते थे और अपनी माँओं का स्वागत करते थे, साथ ही उन्हें कोरनिश, सजदा और तस्लीम करते थे।[37] आईन-ए-अकबरी से पता लगता है कि अपने जन्मदिन पर बादशाह, राजकुमारों एवं अन्य दरबारियों के साथ अपनी माँ के पास उनका आशीर्वाद लेने जाते थे तथा उन्हें असाधारण उपहार भेंट करते थे।[38] अकबर अपनी धाय माताओं जीजी अनगा तथा माहम अनगा को भी विशेष सम्मान देता था।

राजपूतों में भी अपनी माताओं का अत्यधिक सम्मान किया जाता था तथा समाज में उनका आदरणीय स्थान था। मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह द्वितीय का यह स्वभाव था कि वह प्रत्येक सुबह खाना खाने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेने उनके पास जाया करते थे और कभी भी उनकी इच्छा के विरूद्ध कोई कार्य नहीं करते थे।[39]

मुगलकाल में शाही परिवार की स्त्रियों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उन्हें उपाधियों से विभूषित करने का प्रचलन भी था। अकबर की माँ हमीदाबानों बेगम को 'मरियम मकानी की उपाधि[40] तथा जहाँगीर की माँ को मरियम-उज-जमानी की उपाधि दी गयी थी।[41] मुसलमान स्त्रियों में सख्ती से पर्दे का रिवाज था। शाही परिवार की स्त्रियां महल से बाहर केवल पालकी में ही निकल सकती थीं। साधारण वर्ग की मुसलमान स्त्रियां जब घर से बाहर निकलती थीं. तो एक साधारण बनावट के चौडे आकार की चादर से स्वयं को ढक लेती थीं। उत्तर भारतीय हिन्दू सामन्तों और मध्य श्रेणी के लोगों की स्त्रियां भी पर्दा करती थीं।[42]

मुसलमान स्त्रियों का पहनावा साधारणतया चूड़ीदार पाजामा और कमीज थी। शादी व अन्य अवसरों पर घाघरा भी पसन्द किया जाता था। उच्च वर्ग की स्त्रियों के घाघरे पर कीमती कशीदाकारी होती थी।[43] हिन्दू स्त्रियाँ साड़ी पहनती थीं, जिसके उपर ब्लाउज की जगह अंगिया पहनी जाती थी। हिन्दू स्त्रियां ज्यादातर लाल रंग पसन्द करती थीं। उनके कपड़े या तो इस रंग में रंगे जाते थे या लाल रंग की धारियां डाली जाती थीं।[44] हिन्दू स्त्रियां भी घाघरा पसन्द करती थीं। आभूषण हिन्दू और मुसलमानों दोनों ही स्त्रियों में बहुत प्रिय थे। वे नूपुर, चूड़ियाँ, कंगन, कोटे, नथ, हार तथा विविध प्रकार के आभूषण पहनती थीं। समृद्ध और सम्पन्न परिवारों की स्त्रियों में तो आभूषण का इतना अधिक चलन था कि वे शरीर के विभिन्न अंग, प्रत्यंगों में, जहाँ भी सम्भव हो सकता था, आभूषण पहनती थीं। आभूषण प्रायः सोने, चाँदी व रत्नों के होते थे। श्रृंगार प्रसाधनों का भी विशेष प्रयोग होता था। स्त्रियां विभिन्न प्रकार के सुगन्धित लेप, इत्र तथा तेलों का प्रयोग करती थीं। सुरमा, मेंहदी तथा महावर का प्रयोग भी बहुत अधिक था। पान का प्रयोग भी सुन्दरता बढ़ाने के लिए लिपिस्टिक की तरह किया जाता था।[45] उच्च वर्ग की महिलायें सदैव पान चबाती रहती थीं। सम्पन्न परिवार की स्त्रियाँ प्रतिदिन कपड़े बदलती थीं।

इस प्रकार मुगल काल में स्त्रियों की दशा सामान्य थी। अकबर ने स्त्रियों के गिरते हुए स्तर को बचाया। बाल-विवाह पर प्रतिबन्ध, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, विधवाओं के पुनर्विवाह तथा सतीप्रथा को रोकने के लिए प्रयत्न आदि उसके ऐसे कार्य हैं, जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में योगदान दिया।

: सन्दर्भ सूची :

1. स्मिथ वी० ए०- अकबर द ग्रेट मुगल, (हिन्दी अनुवाद)- लखनऊ 1967, पृ० 45

2. लुनिया. बी० एन०- अकबर महान, आगरा 1972, पृ० 73

3. अली, तिलहा - नामूर मुगल शहजादिया, नई दिल्ली, 2004, पृ० 106

4. अब्दुल बाकी मासिर-ए-रहीमी (अंग्रेजी अनुवाद, इलियट तथा डॉसन) भाग 6, पृ० 108, 109

5. ख्वाजा कामगार खाँ, मासीर-ए-जहाँगीरी, भाग 1, पृ० 328

6. श्रीवास्तव, एम०पी०- सोशल लाइफ अण्डर द ग्रेट मुगल्स, इलाहाबाद 1978, पृ० 6

7. अब्दुल कादिर बदायूँनी- मुन्तखब-उत-तवारीख, भाग 2, पृ० 66

8. फरिश्ता- तारीख-ए-फरिश्ता खण्ड 1, पृ० 154

9. स्मिथ, वी०ए०-पूर्वोक्त, पृ० 69, 70

10. लाल, मुनी- अकबर, दिल्ली, 1980, 120-24

11. अबुल फजल - अकबरनामा, खण्ड 3, पृ० 670

12. वही, पृ० 639-703

13. अबुल फजल आईन-ए-अकबरी, भाग 1, पृ० 336

14. शुश्टेरी, ए०एम०ए०- आऊटलाइन्स ऑफ इस्लामिक कल्चर, बंगलौर, भाग 2, पृ० 771

15. सरकार स्टडीज इन मुगल इण्डिया, कलकत्ता पृ० 114-17

16. श्रीवास्तव, एम०पी०- सोसायटी एण्ड कल्चर इन मेडिवल इण्डिया, पृ० 73

17. गुलबदन बेगम - हुमायूँमनामा, (अंग्रेजी अनुवाद एच बेवरिज) नई दिल्ली, 1989, पृ० 150

18. वही, पृ० 76

19. अली, तिल्हा, पूर्वोक्त, पृ० 8

20. वही, पृ० 105-6

21. वही, पृ० 8

22. चोपडा, पी०एन०- सोसायटी एण्ड कल्पर एन मुगल ऐज दिल्ली, 1967, पृ० 128

23. मिश्रा, रेखा- पोजीशन ऑफ़ वीमेन इन मेडिकल इंडिया, पृष्ठ 120

24. श्रीवास्तव, एम० पी०- सोशल लाइफ अंडर द ग्रेट मुग़ल इलाहाबाद 1978 पृष्ठ 117-18

25. वही

26. एलटेकर, ए० एस० - द पोजीशन ऑफ वूमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, पृ० 259

27. अब्दुल कादिर बदायूँनी- मुन्तखब-उत-तवारीख, भाग 2, पृ० 301-2

28. मनूची - स्टोरियो डी मोगोर, भाग 2, पृ० 337

29. अबुल फज़ल - आईन-ए-अकबरी, भाग 1, पृ० 227

30. गुप्ता, के० एस० एवं ओझा, जे० के०- राजस्थान का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, जोधपुर 1986, पृ० 15

31. वही, पृ० 15-16

32. लाल, आर०वी० इण्डिया एज सीन वाई द फार्नर्स इन द 16 वी एण्ड 17 वी सेन्चुरीज, पृ०142

33. अब्दुल कादिर बदायूँनी - पूर्वाक्त भाग 2, पृ० 388

34. लूनिया, वी०एन०- अकबर महान, पृ० 168-69

35. कादम्बिनी पत्रिका (अगस्त 2005), पृ० 101

36. वही, पृ० 102-03

37. जहाँगीर - तुजूक-ए-जहाँगीरी, भाग 2, पृ० 62

38. अबुल फज़ल - आईन-ए-अकबरी, भाग 1, पृ० 256

39. टॉड, जेम्स - एनल्स एण्ड एन्टीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, भाग 1, पृ 479

40. अबुल फज़ल - अकबरनामा, भाग 3, पृ० 815

41 जहाँगीर- तुजुक -ए-जहाँगीरी भाग 2, पृ० 76

42. सिंह, रामफल- हिन्दू-मुस्लिम सांस्कृतिक एकता का इतिहास (मुगल काल), दिल्ली, 1989, पृ० 332-33

43. चोपड़ा, पी०एन०-सोसायटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज, पृ० 13

44. मनूची- स्टोरियो डी मोगेर, भाग 2, पृ० 341

45. लूनिया वी० एन०- मुगलकालीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, उज्जैन, 1971, पृ० 94